



भारतीय रिजर्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आरबीआई/2016-17/29

बैंपवि.एआरएस.सं.बीसी.2/08 .91.001/2016-17

28 जुलाई, 2016

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

प्रिय महोदय/महोदया,

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खातों की अर्धवार्षिक/त्रैमासिक समीक्षा

कृपया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खातों की अर्धवार्षिक/त्रैमासिक समीक्षा करने के संबंध में 5 जून 2003 का जारी हमारा परिपत्र DBS.ARS.No.BC.17/08.91.001/2002-03 देखें।

2. रिपोर्टिंग प्रारूप को [अनुबंध](#) के अनुसार संशोधित किया गया है। तदनुसार, आप अगली समीक्षा की प्रभावी तिथि से यथासंलग्न संशोधित प्रारूप में समीक्षा तैयार करने की व्यवस्था करें।
3. समय-समय पर संशोधित अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

हस्ता/-

(इंद्राणी बनर्जी)

मुख्य महाप्रबंधक
